रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072022-237293
CG-DL-E-14072022-237293

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3038] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 14, 2022/आषाढ़ 23, 1944
No. 3038] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 14, 2022/ASHADHA 23, 1944

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली,11 जुलाई, 2022

का.आ. 3196(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्तियों या सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता (कृषि विभाग) मंत्रालय की अधिसूचना तारीख 27 फरवरी, 1971 जो, संख्यांक सा.का.नि. 301(अ), तारीख 1 मार्च, 1971 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, में और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,

(1) क्रम संख्या (xix) (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(xix) (ख) डॉ संतसाबुज दास, प्रभारी निदेशक,
राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान,
मेघानी नगर, अहमदाबाद-380016;

(2) क्रम संख्या (xx) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(xx) डॉ अतुल एन वैद्य, निदेशक,
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान
परिषद- राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी
अनुसंधान संस्थान-नागपुर-440020 ।"

[फा. सं. 13029/02/2019-पीपी-1]

डॉ प्रमोद कुमार मेहरदा, संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण)

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 301(अ), तारीख 27 फरवरी, 1971 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार संख्यांक का.आ. 4627(अ), तारीख 3 नवंबर, 2021 द्वारा संशोधित की गई थी ।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2022

S.O. 3196(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby nominate following persons or members to the Central Insecticides Board for a period of three years from the date of publication of this notification and for this purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture), dated the 27th February, 1971, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 301(E), dated the 1st March, 1971, namely:-

In the said notification,

(1) for serial number (xix) (b) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"(xix) (b) Dr. Santasabuj Das, Director Incharge, National Institute of Occupational Health, Meghani Nagar, Ahmedabad-380016;

(2) for serial number (xx) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"(xx) Dr. Atul N. Vaidya, Director, Council of Scientific & Industrial Research-National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur-440020."

[F. No. 13029/02/2019-PP-I]

Dr. PRAMOD KUMAR MEHERDA, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 301(E), dated the 27th February, 1971 and last amended *vide* number S.O. 4627 (E), dated the 03rd November, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM